फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

लालाराम बैरवा **बनाम** उपखण्ड अधिकारी सांगानेर व अन्य

केस संख्या : 560 / 2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
5.08.2025	दरखवास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 103 / 2025 ब–उनवानी लालाराम बनाम अंकुश में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 01.09.2025 को पेश हो। जिला कलेक्टर जयपुर	
1/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। टिप्पणी अप्राप्त है। अतः ता-इन्तजार टिप्पणी एवं शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि० नोटिस पेश करने पर जारी कर पत्रावली दिनांक 23-9-25 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	रजि० नो० जारी 3358-3383 12-9-25
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 3, 5, 7, 10, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल बैरवा ने वकालतनामा पेश किया। उभय पक्ष ने अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह RAS का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है अतः उनके विरुद्ध प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावशून्य (INFRUCTIOUS) हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner